रजिस्ट्री स. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 153] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 1983/वैशाख 2, 1905
No. 153] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 1983/VAISAKHA 2, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 110/83-सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1983

सा. का. नि. 349(अ) —केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 118-सीमा-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के प्रारम्भिक भाग में "अध्याय 90" शब्द और अंकों के पश्चात् "या अध्याय 92" शब्द और अंक अन्त स्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 346/14/83-टी आर यू]

जे. श्रीधरन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

NO. 110/83-CUSTOMS

New Delhi, the 22nd April, 1983

G.S.R. 349(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 117-Customs, dated the 19th June, 1980, namely :—

In the said notification, in the opening portion after the word and figures 'Chapter 90" the words and figures "or Chapter 92" shall be inserted.

[F. No. 346/14/83-TRU]

J. SRIDHARAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 110054, 1983